भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं० 3536

दिनांक 03.04.2017 को उत्तर दिए जाने के लिए

स्वच्छता और पेयजल संबंधी योजनाओं की स्थिति

3536. श्री पि० भट्टाचार्यः
श्रीमती रजनी पाटिलः

क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) सरकार द्वारा महाराष्ट्र और पश्चिमी बंगाल सहित देश के विभिन्न भागों में स्वच्छता की सुविधा प्रदान करने हेतु कार्यान्वित की गई अथवा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं अथवा परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;
(ख) सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में राज्य सरकारों को कितनी धनराशि आवंटित की गई है और अगले दो वर्षों के दौरान कितनी धनराशि आवंटित की जाएगी;
(ग) क्या पीने हेतु उपयोग में लाए जा रहे भूजल में खतरनाक रसायनिक तत्व पाए गए हैं; और
(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

राज्य मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

(श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागी)

(क) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की शुरूआत 2.10.2014 को हुई थी जिसका लक्ष्य 2.10.2019 तक खुले में शौच मुक्त भारत की प्राप्ति करना है। स्कीम का फोकस व्यवहार में परिवर्तन लाना और शौचालयों का उपयोग करने पर है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के सभी परिवारों और गरीबी रेखा से ऊपर के चिन्हित (एपीएल) परिवारों (सभी अ.जा./अ.ज.जा., लघु और सीमांत किसानों, अधिवास वाले भूमिहीन मजदूर, दिव्यांगजन और महिला प्रमुख प्रावधान परिवारों) को वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों (आईएचएचएल) के निर्माण के लिए 12,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि का प्रावधान है। ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन को (एसएलडब्ल्यूएम) एसबीएम (जी) के तहत भी शामिल किया गया है और इस घटक के अंतर्गत कम्पोस्ट् पिट, वर्मी कंपोस्टिंग, बायोगैस प्लांट, कम लागत निकासी, सोकेज चैनल/पिट्स, अपशिष्ट जल का पुनः प्रयोग और घरेलू कचरे का एकत्रण, वर्गीकरण तथा निपटान प्रणाली और मासिक धर्म संबंधी सफाई प्रबंधन आदि जैसे संबंधित कार्य किए जा सकते हैं। ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन गतिविधियों के लिए 150/300/500 या 500 से अधिक परिवारों वाली ग्राम पंचायतों के लिए 7/12/15/20 लाख रुपए की सीमा के साथ निधियाँ उपलब्ध हैं।
(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत आबंटन और अगले दो वर्षों के लिए आबंटन इस प्रकार हैं:-

क्र.सं.	वर्ष	आबंटन (करोड़ रुपए में)
1	2013-14	2300.00
2	2014-15	2850.00
3	2015-16	6525.00
4	2016-17	10500.00
5	2017-18	13948.27

(ग) और (घ) राज्यों द्वारा मंत्रालय की एकीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली पर राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दिनांक 30 मार्च 2017 तक देश में 63,965 बसावटें रसायनिक संदूषण से प्रभावित हैं। इसमें से 13013 बसावटें फ्लोराइड से प्रभावित हैं, 13,531 बसावटें आर्सेनिक से प्रभावित हैं, 19,680 बसावटें लौह तत्व से प्रभावित हैं, 13,835 बसावटें लवणता से प्रभावित हैं, 1909 बसावटें नाइट्रेट से प्रभावित हैं और 1997 बसावटें भारी धातु से प्रभावित हैं। ग्रामीण पेयजल आपूर्ति राज्य का विषय है। मंत्रालय, ग्रामीण आबादी तक सुरक्षित पेयजल के कवरेज को सुधारने के लिए केन्द्रीय रूप से प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के माध्यम से राज्यों को तकनीकी और वित्तीय सहायता देकर उनके प्रयासों में सहायता करता है। राज्य सरकारें, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने हेतु योजनाएं, डिजाइन बनाती है और उनका निष्पादन करती हैं और स्कीमें चलाती है।

एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत राज्यों को आबंटित 67% तक की निधियों का उपयोग आर्सेनिक तथा फ्लोराइड प्रभावित बसावटों को प्राथमिकता देते हुए जल गुणवत्ता प्रभावित बसावटों में स्वच्छ पेयजल प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा, 5% एनआरडीडब्ल्यूपी निधियां जल गुणवत्ता के लिए चिह्नित हैं और उन राज्यों को आबंटित की जाती हैं, जिनमें अत्यधिक रसायन संदूषण से प्रभावित बसावटे हैं और जापानी इंसेफेलाइटिस/उग्र इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम से प्रभावित उच्च प्राथमिकता वाले जिले हैं। राज्यों से कहा गया है कि वे जल गुणवत्ता प्रभावित बसावटों में सुरक्षित एवं बारहमासी सतही जल स्रोतों से नल जल आपूर्ति स्कीमों पर बल दें। अल्पकालिक उपाय के तौर पर सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्रों के जरिए आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित बसावटों में पीने एवं रसोई प्रयोजन के लिए 8-10 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन सुरक्षित पेयजल प्रदान करने हेतु नीति आयोग की सिफारिश पर भारत सरकार द्वारा राज्यों को 100% अनुदान के रूप में मार्च 2016 में 800 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में क्रमशः आर्सेनिक और फ्लोराइड समस्याओं को दूर करने के लिए सतही जल आधारित नल जल आपूर्ति स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए अंतिम कनेक्टिविटी के रूप में प्रत्येक को 100 करोड़ रुपए की निधियाँ भी उपलब्ध कराई गई हैं। केंद्र तथा राज्य के बीच 50:50 की भागीदारी में और पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों में उनके मध्य 90:10 की भागीदारी में मुख्यत: सतही जल आधारित नल जलापूर्ति स्कीमों द्वारा केवल आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित आबादी के लिए केन्द्रित वित्पोषण के लिए मंत्रालय ने राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप-मिशन तैयार किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत चालू स्कीमों को पूर्ण करने के लिए 15 राज्यों को 814.14 करोड़ रु. जारी किए गए हैं।